# उत्तर प्रदेश शासन

## कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 18/2/81/का-2–2012
लखनऊ, 06 जून, 2012

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित)की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7– सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9– वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सलंग्न नियमावली को सरकारी असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम नियम के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा संलग्न नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित 5000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
एच०एल० गुप्ता,
विशेष सचिव।

क्रम संख्या–110(ज)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ बुधवार, 06 जून, 2012

ज्येष्ठ 16, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 18/2/81–का–2-2012

लखनऊ, 6 जून, 2012

अधिसूचना

**सा०प०नि०–92**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

### उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

2–यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **अधिकतम आयु सीमा** (2) राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैतीस वर्ष होगी। | **अधिकतम आयु सीमा** (2) राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा पैतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी:<br><br>परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी । |

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

---

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18/II/81-Ka-2-2012, dated June 6, 2012:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION–2
No. 18/II/81-Ka-2-2012
*Dated Lucknow, June* 6, 2012

IN exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to amending the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 1972.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT TO SERVICES (AGE LIMIT) (TENTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) (Tenth Amendment) rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 1972 *for* the existing rule 2 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

| | COLUMN-1<br>*Existing rule* | COLUMN-2<br>*Rule as hereby substituted* |
|---|---|---|
| Maximum Age Limit | 2. The upper age limit for recruitment to all such services and posts under the rule making power of the Governor, for which the upper age limit is thirty two years, shall be thirty five years. | Maximum Age Limit 2. The upper age limit for recruitment to all such services and posts under the rule making power of the Governor, for which the upper age limit is thirty two years, shall be forty years:<br><br>Provided that where advertisement has been made before the commencement of the Uttar Pradesh recruitment to Services (Age Limit) (Tenth Amendment) rules, 2012, the upper age limit shall be as it existed before the commencment of the said rules. |

By order,
RAJIV KUMAR,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 238 राजपत्र (हि०)–(1355)–2012–599 प्रतियां (क०/आ०)।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 15सा० नियुक्ति–(879)–2012–5000–प्रतियां (क०/आ०)।

226 RPH 2012 Data 8